PNo. CD-11012/01/2022-Coord.

Government of India

Ministry of Road Transport & Highways

(Coordination Section)

Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110001

Dated the 11th February, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Monthly Summary for the Cabinet for the Month of January, 2022.

A copy of the unclassified portion of the Monthly Summary (Both English & Hindi) for the Cabinet pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways for the month of January, 2022 is enclosed herewith for information.

Prashant Kumar

(Prashant Kumar)
Section Officer (Coordination & W&A)

Encl. As above

To,

1. All members of the Council of the Ministers
2. Deputy Chairman, NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi
3. All Members of NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi. (10 spare copies)
4. Cabinet Secretary , Rashtrapati Bhavanm New Delhi
5. All Secretaries to Government of India
6. Information Officer, PIB , Shastri Bhavan, New Delhi

Ministry of Road Transport and Highways

Subject: Monthly Summary for the Cabinet for the month of January, 2022.

1. **Award and Construction of National Highways:** The Ministry has constructed 6,684 Km of National Highways up to January, 2022 in 2021-22 as compared to 9,132 km constructed up to January, 2021 in 2020-21. The award figure is 6,883 km during this period as compared to 7,696 Km in the previous year.
2. **Rules regarding side/side torso air bags and side curtain/tube air bags:** This Ministry vide draft notification dated 14th January, 2022 has proposed that vehicles of category M1 [a motor vehicle used for carriage of passengers, comprising not more than eight seats, in addition to the driver's seat], manufactured after 1st October 2022, shall be fitted with two side/side torso air bags, one each for the persons occupying front row outboard seating positions and two side curtain/tube air bags, one each for the persons occupying outboard seating positions and the safety requirement for such airbags shall be verified in accordance with Automotive Industry Standard (AIS)-099. Comments and suggestions have been invited from stakeholders within a period of thirty days.
3. **Fire Alarm System and Fire Protection System in buses:** This Ministry vide notification dated 27th January 2022 has introduced Fire Alarm System and Fire Protection System in the Passenger (or Occupant) Compartment in buses through an amendment in the AIS (Automotive Industry Standard)-135.
4. **Extension in the implementation of norms related to Wheel Rims:** This Ministry has issued a notification to align the Central Motor Vehicle Rules in line with the latest Quality Control Order issued by the Ministry of Heavy Industry for Wheel Rims.
5. **Retro fitment in BS VI Vehicles:** This Ministry, vide draft notification dated 27th January, 2022 has proposed retro fitment of CNG and LPG kit on BS (Bharat Stage)-VI gasoline vehicles and replacement of diesel engines with CNG/LPG engines in case of BS-VI vehicles having less than 3.5 tonnes. Comments and suggestions have been invited from stakeholders within a period of thirty days.

6. **Amendment in Rule 115G of CMVR 1989:** MoRTH issued a draft notification dated 28th January, 2022 to amend rule 115G of Central Motor Vehicle Rules, 1989 to align with Ministry of Power's notification dated 6th December 2021 regarding Average Fuel Consumption Standard, notified under the Energy Conservation Act, 2001. Comments and suggestions have been invited from stakeholders within a period of thirty days.

7. **Relief of Contractors/Developers of Road Sector in view of COVID 19 pandemic:** -

   i. Extension in relaxation in Schedule H/G till 31st March 2022 to improve liquidity of funds available with contractors and concessionaires.

   ii. Arrangement regarding direct payment to approved Sub-Contractor through Escrow Account may be continued till 31st March 2022 or the completion of the work by Sub-Contractor, whichever is earlier.

   iii. Reduction of Performance Security /release of retention money from existing 5-10% to 3% of the value of the contract for all existing contracts (excluding the contracts under dispute wherein arbitration/court proceedings have been started or completed). All tenders / contracts issued / concluded till 31.03.2022 should also have the provision of reduced performance security.

   iv. Extension of Time to Contractor / Concessionaire to be examined and considered on case to case basis.

   v. Waiver of penalty for delay in submission of Performance Security / Bank Guarantee in new Contracts entered into during April, 2021 - June 2021 may be granted in general for all such contracts for a period of one month from the due dates, as per provisions of the contract.

   vi. Extension of Time to Concessionaire, i.e I.E/ A.E/ S.C. may be examined and considered on case to case basis.

   vii. In case of BOT / TOT Concessionaire, for reduction in collection of user fee, the concession period will be extended as per provisions in the Concession Agreement.

viii. For all NH Tolling Contracts, reduction in collection of fee may be compensated in accordance with the User Fee Collection Contracts.

ix. Extension of time may be granted to Concessionaire for achievement of Financial Closure in the Concession Agreements entered between April-June, 2021 for a period of one month from the due dates, as per provisions of the contract, depending on the location of the project.

8. Union Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari, while inaugurating a Conference on "PM-Gati Shakti" for the South Zone on 17th January 2022 called for cooperation between Central and State Governments for infrastructure development of the country. He said that the infrastructure development will play an important role in fulfilling the vision of India in becoming $5 trillion economy.

9. In the first week of January 2022, Union Minister of Road Transport and Highways laid Foundation Stone for 1,129 Km of NH Projects worth Rs. 54,000 Crore (approx.) in various districts of Uttar Pradesh including Ayodhya, Mathura, Prayagraj, Kaushambi for development of infrastructure and better connectivity in the state and to facilitate trade, tourism and ease of doing business.

10. Union Minister of Road transport and Highways inaugurated and performed foundation stone laying ceremony of six projects worth Rs 3,840 Cr in Goa on 3.1.2022.

11. Union Minister of Road transport and Highways inaugurated and performed foundation stone laying ceremony of six projects worth Rs 3,840 Cr in Goa on 3.1.2022.

*****

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

विषयः मंत्रिमंडल के लिए जनवरी, 2022 माह का मासिक सारांश।

1. राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपना और निर्माण : मंत्रालय ने 2021-22 में जनवरी, 2022 तक 6,684 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है, जबकि 2020-21 में जनवरी, 2021 तक 9,132 किलोमीटर का निर्माण किया गया था। पिछले वर्ष के 7,696 किलोमीटर की तुलना में इस अवधि के दौरान सौंपने का आंकड़ा 6,883 किमी है।

2. साइड/साइड टोरसो एयर बैग्स और साइड कर्टेन/ट्यूब एयर बैग्स के संबंध में नियम : इस मंत्रालय ने दिनांक 14 जनवरी, 2022 की मसौदा अधिसूचना के माध्यम से प्रस्तावित किया है कि 1 अक्टूबर, 2022 के बाद निर्मित एम 1 श्रेणी के वाहन [यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन, जिसमें चालक की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें ना हों] में दो साइड कर्टेन/ट्यूब एयर बैग्स लगाए जाएंगे, जिनमें से आगे की सीट पर आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक-एक साइड/साइड टोरसो एयर बैग होगा और आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन पर बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक-एक साइड कर्टेन/ट्यूब एयर बैग्स होगा और ऐसे एयरबैग की सुरक्षा आवश्यकता को ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस)-099 की अनुरूपता में सत्यापित किया जाएगा। हितधारकों से तीस दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

3. बसों में फायर अलार्म सिस्टम और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम : इस मंत्रालय ने 27 जनवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से एआईएस (ऑटोमोटिव उद्योग मानक)-135 में संशोधन के माध्यम से बसों में यात्री (या अधिभोगी) कंपार्टमेंट में फायर अलार्म सिस्टम और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किया है।

4.व्हील रिम्स से संबंधित मानदंडों के कार्यान्वयन में विस्तार : इस मंत्रालय ने भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुरूप केंद्रीय मोटर वाहन नियमों को संयोजित करने के लिए व्हील रिम्स हेतु एक अधिसूचना जारी की है।

5. बीएस VI वाहनों में रेट्रो फिटमेंट: इस मंत्रालय ने 27 जनवरी, 2022 की मसौदा अधिसूचना के माध्यम से बीएस (भारत चरण)-VI गैसोलीन वाहनों में सीएनजी और एलपीजी किट के रेट्रो फिटमेंट और 3.5 टन से कम के बीएस-VI वाहन के मामले में डीजल इंजन के स्थान पर सीएनजी / एलपीजी इंजन के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव किया है। हितधारकों से तीस दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

6. सीएमवीआर 1989 के नियम 115छ में संशोधन : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत अधिसूचित औसत ईंधन खपत मानक के संबंध में विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना, दिनांक 6 दिसंबर 2021 के साथ संयोजन के लिए केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 115छ में संशोधन करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना, दिनांकित 28 जनवरी, 2022 जारी की है। हितधारकों से तीस दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

7. कोविड-19 महामारी को देखते हुए सड़क क्षेत्र के ठेकेदारों/डेवलपर्स को राहत :-

i. ठेकेदारों और रियायतग्राहियों के पास उपलब्ध निधियों की नगदी बढ़ाने के लिए अनुसूची ज/छ में छूट को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाना।

ii. स्वीकृत उप-ठेकेदार को एस्क्रो खाते के माध्यम से सीधे भुगतान की व्यवस्था को 31 मार्च, 2022 तक या उप-ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा करने तक, जो भी पहले हो, जारी रखा जा सकता है।

iii. सभी मौजूदा अनुबंधों (विवाद के अधीन अनुबंधों को छोड़कर, जिसमें मध्यस्थता/अदालती कार्यवाही शुरू या पूरी की गई है) के लिए निष्पावदन प्रतिभूति में कमी/प्रतिधारण राशि को अनुबंध मूल्य के मौजूदा 5-10% से 3% तक घटाना। 31.03.2022 तक जारी/समापन किए गए सभी निविदाओं/अनुबंधों में भी निष्पादन प्रतिभूति कम करने का प्रावधान होना चाहिए।

iv. मामला-दर-मामला आधार पर ठेकेदार/रियायतीग्राही के समय विस्तार की जांच की जाएगी और उसपर विचार किया जाएगा।

v. अप्रैल, 2021-जून, 2021 के दौरान किए गए नए अनुबंधों में निष्पातदन प्रतिभूति/ बैंक गारंटी जमा करने में देरी के लिए सामान्य रूप से दंड से छूट अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सभी अनुबंधों हेतु नियत तारीख से एक माह की अवधि के लिए दी जा सकती है।

vi. मामला-दर_मामला आधार पर रियायतग्राही अर्थात् आई.ई /ए.ई/एस.सी. के समय विस्तार की जांच की जा सकती है और उसपर विचार किया जा सकता है।

vii. बीओटी/टीओटी रियायतग्राही के मामले में, प्रयोक्ता शुल्क के संग्रह में कमी के लिए रियायत अवधि को रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार बढ़ाया जाएगा।

viii. सभी रारा टोलिंग अनुबंधों के लिए शुल्क संग्रह में कमी की भरपाई प्रयोक्ता शुल्क संग्रह अनुबंधों के अनुसार की जा सकती है।

ix. अप्रैल-जून, 2021 के बीच किए गए रियायत समझौतों में वित्तीय समापन हासिल करने के लिए रियायतग्राही को परियोजना के स्थान के आधार पर अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित तारीख से एक महीने की अवधि के लिए समय विस्तार दिया जा सकता है।

8. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने 17 जनवरी, 2022 को दक्षिण क्षेत्र के लिए "पीएम- गति शक्ति" पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए देश के अवसंरचना विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के विजन को पूरा करने में अवसंरचना विकास महत्ववपूर्ण भूमिका निभाएगा।

9. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने जनवरी, 2022 के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, कौशांबी सहित विभिन्न जिलों में अवसंरचना विकास और राज्य में बेहतर संपर्कता तथा व्यापार, पर्यटन एवं कारोबार करने में सुगमता के लिए 54,000 करोड़ रु. (लगभग) धनराशि की 1,129 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

10. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने 3.1.2022 को गोवा में 3,840 करोड़ रुपये की छह परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

11. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने 3.1.2022 को गोवा में 3,840 करोड़ रुपये की छह परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

*****